रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1417] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2017/वैशाख 27, 1939
No. 1417] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2017/VAISAKHA 27, 1939

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2017

का.आ.1604(अ).–भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 3121 (अ), तारीख 20 नवम्बर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए थे;

और, प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

द्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिले में 19° 58' 40" से 19° 58' 42" उत्तर अक्षांश और 76° 31' 45" से 76° 31' 56" पूर्व देशांतर में स्थित है और यह 203.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है;

और अभयारण्य में तेंदुआ (*पैंथेरा पार्डस*), रीछ(*मेलुरसूस अरसीनूस*), भेड़िया(*कनीस लुपुस पल्लीपेस*), लकड़बग्घा(*हेयना हेयना*), लोमड़ी(*वोलपेस बेनगालेनसीस*), नीलगाय(*बोसेलाफुस* टरागोसामेलुस), बनैला सूअर(*सुस स्क्रोफा*), पीफोल(*पवो करीसटटुस*), काला मृग(*अनटेलोप सेरवीकापरा*) का आश्रय है और इसमें शुष्क पतझड़ सागौन तथा डेक्कन प्रायद्वीप जोन के 6ख-केंद्रीय पठार के जैविक प्रान्त के विविध प्रकार के वन हैं ;

और, द्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में द्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.38 किलोमीटर से 8.10 किलोमीटर तक के विस्तार वाले क्षेत्र को द्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन द्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1.380 किलोमीटर से 8.10 किलोमीटर तक विस्तार के साथ 297.85 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐसे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रुप में उपाबद्ध है ।

(2) वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इस अधिसूचना के साथ **उपाबंध-II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध-III** के रुप में इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन, महाराष्ट्र राज्य के बुलढाना जिले के 37 ग्रामों तक फैला है और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांक के साथ **उपाबंध IV** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति में जो इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट है तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप भी और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार की जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर तब तक कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूमिगत जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और योजना समर्थनकारी मानचित्र द्वारा और विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं के ब्यौरे देने वाले मानचित्र द्वारा समर्थित होगी का विवरण किया जाएगा ।

IndiaCode

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा पारिस्थितिक अनुकूल विकास को स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए भी सुनिश्चित करेगी तथा उसका संर्वधन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-विस्तार होगी ।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना मानीटरी समिति के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार मानीटरी के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकारें इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए अभिनिश्चित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा नीचे सूचीबद्ध क्रियाकलापों को करने के लिए है, जैसे:-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीरों जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक की जाएगी और उक्त त्रुटि किया जाना के बारे में केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को ठीक करने में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजनाएं सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा आवाह प्रबंध योजना ऐसी रीति में तैयार की जाएगी जिसमें कि आवाह क्षेत्र में विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध किया जा सके ।

(3) **पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग होगी ।

(ख) पारिस्थितिक-पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र प्रदेश सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार के राजस्व और वन विभाग, के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पारिस्थितिक-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण,

IndiaCode

द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय द्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल या विस्तार तक और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, योजना तैयार की जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार मानकों सिद्धांतों और विनियमों को कार्यान्वित करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अंतर्गत आने वाले सामान्य मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना स.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

IndiaCode

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **यानीय यातायात-** परिवहन का यानीय संचलन आवास के अनुकूल रीति में स्वच्छ ईधन का प्रयोग करते हुए विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और उसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संजनल के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(14) **औद्योगिक इकाइयां -** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी नए उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) तथा तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां तुरंत प्रभाव से सिवाय वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और आवासन के लिए देशी टाइलों या ईंटों का निर्माण करना भी है, विद्यमान विनियमों के अनुसार प्रतिषिद्ध होंगे । (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सिविल) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसार की जाएगी ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	और पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए उद्योग और विद्यमान प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नही दी जाएगी। केवल गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त गैर प्रदूषित कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा ।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

IndiaCode

6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस की स्थापना और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण की सुविधा ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नया ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापन/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के किसी भी प्रकार के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों का स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक कि.मी. के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं । परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी जैसे:- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाएं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिसमें गृह वास भी है सहायक हो; और (iv) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची :
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार सिर्फ गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को श्वेत प्रवर्ग के रुप में कहा गया है और पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, उद्यान कृषि, पुष्प कृषि या औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन में या

		सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	जलवान लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों एन टी एफ टी का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों बिछाना तथा अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित होंगे।
19.	गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे अन्य पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट/ बहिर्स्रावों का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्रावों के निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा । उपचारित अपशिष्ट जल के पुनचक्रण और पुन: उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयास अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	स्थानीय उपयोग के लिए अनुज्ञात अन्यथा अन्यथा इसे विनियमित किया जाएगा और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पशु चराई के लिए मार्गाधिकार।	स्थानीय/ग्रामों को अनुमति के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले मार्गाधिकार ।

IndiaCode

ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
38.	पर्यावरण-अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
40.	निम्नीकृत भूमि/ वन/ आवास की पुन: बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।

ऊपर यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप प्रारूप अधिसूचना जारी करने की तारीख से प्रभावी होंगे।

5. मानीटरी समिति-

(1) केंद्रीय सरकार ने तीन वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(i)	जिला कलक्टर, बुलढाना	-अध्यक्ष;
(ii)	जिला परिषद्, बुलढाना का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iii)	महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iv)	सदूर संवेदन केन्द्र का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन का महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vi)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(vii)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य सचिव/सदस्य	-सदस्य;
(viii)	प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	-सदस्य;
(ix)	ज्येष्ठ नगर योजनाकार, बुलढाना	-सदस्य;
(x)	उप वन संरक्षक (टी), बुलढाना प्रभाग	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन : (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी और मानीटरी समिति का कार्यकाल अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा

विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा.सं. 25/23/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर,वैज्ञानिक 'जी

उपाबंध ।

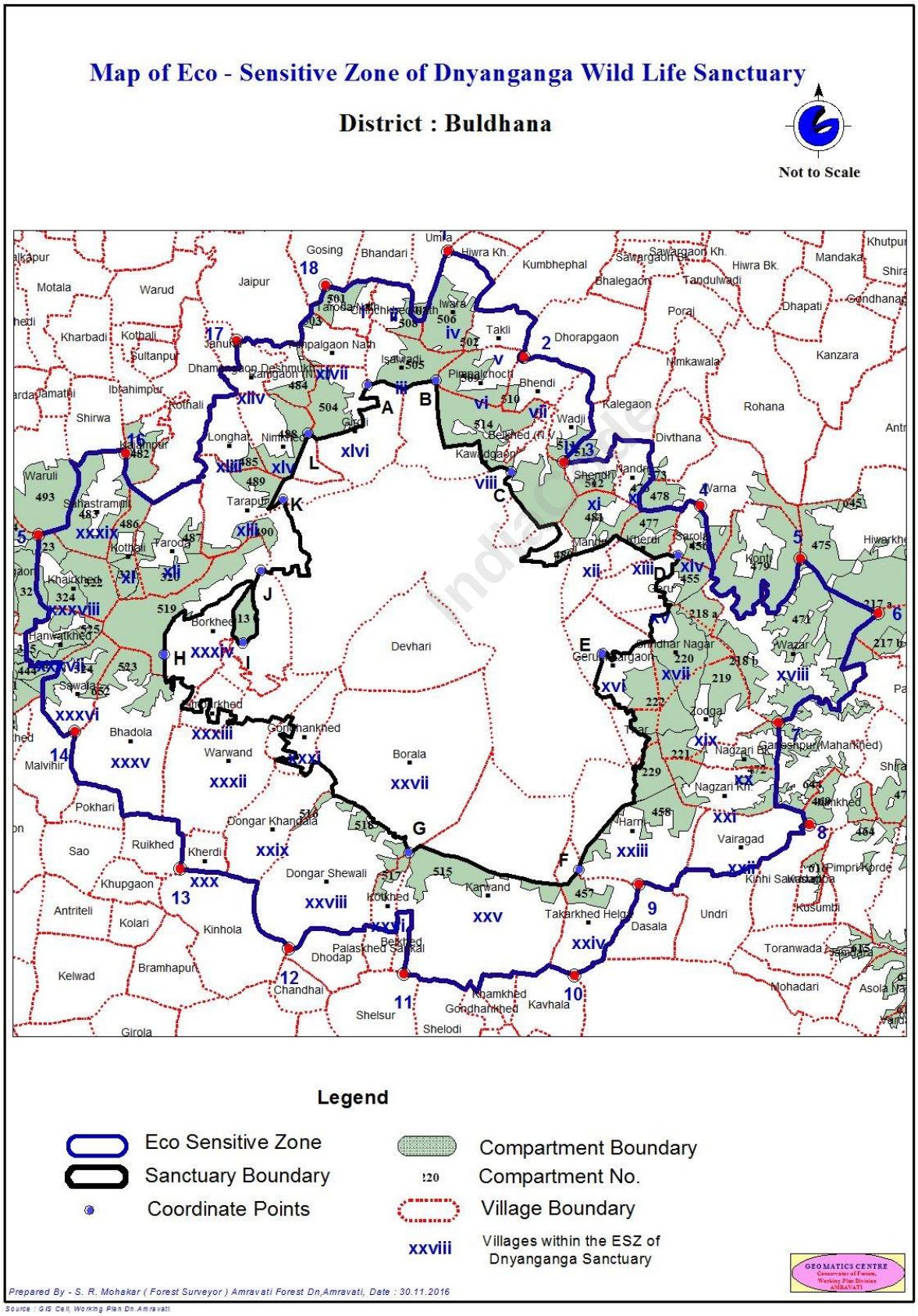
द्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण

उत्तर	ग्राम जयपुर, गोसिह, भण्डारी, उमरा, हिवारा केडी, खुम्भफल, घोरपागाँव, कालेगांव, रोहाना, अंतराज **की** दक्षिणी सीमा
पूर्व	ग्राम किन्ही महादेव, नईदेवी, शिरला किन्ही सावद, तोरनवादा कि पश्चिमी सीमा
दक्षिण	ग्राम पोखारी, रूईखेड, खेरदी, किनोला,धोदाय, 24 असलखेड सापकल, खामखेड़, अमदापुर कि उत्तरी सीमा
पश्चिम	ग्राम बुलधाना, हनवनखेड, मालविहार, खैरखेड, तोरदा, खाटोली, धामगाँव देशमुख, वारूद कि पूवी सीमा

IndiaCode

उपाबंध II

ध्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध III

क. द्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	बिन्दु सं.	अक्षांश	देशांतर
1	ए	20° 38′ 44″	76° 19′ 56″
2	बी	20° 38′ 50″	76° 21′ 28″
3	सी	20° 36′54″	76°23′10″
4	डी	20°35′08″	76°26′53″
5	ई	20°33′05″	76°25′12″
6	एफ	20°28′31″	76°24′41″
7	जी	20°28′53″	76°20′53″
8	एच	20°33′03″	76°15′23″
9	आई	20°33′18″	76°17′09″
10	जे	20°34′49″	76°17′33″
11	के	20°36′19″	76°18′03″
12	एल	20°37′43″	76°18′36″

ख. द्यानगंगा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	बिन्दु सं.	अक्षांश	देशांतर
1	1	20°41′33.381″	76°21′43.538″
2	2	20°39′19.858″	76°23′26.225″
3	3	20°37′06.872″	76°24′19.640″
4	4	20°36′11.507″	76°27′23.734″
5	5	20°35′05.002″	76°29′37.782″
6	6	20°33′55.096″	76°31′22.100″
7	7	20°31′37.297″	76°29′08.399″
8	8	20°29′28.061″	76°29′50.121″
9	9	20°28′12.496″	76°26′00.798″
10	10	20°26′17.445″	76°24′34.951″
11	11	20°26′19.389″	76°20′45.447″
12	12	20°26′50.836″	76°18′11.093″
13	13	20°28′31.979″	76°15′45.260″
14	14	20°31′25.308″	76°13′23.033″
15	15	20°35′33.947″	76°12′34.155″
16	16	20°37′16.973″	76°14′30.815″
17	17	20°39′40.376″	76°17′00.179″
18	18	20°40′50.179″	76°18′59.195″

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	मानचित्र संख्या	ग्राम के नाम	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
01	i	तरोदा नाथ	उ 20:40:23.348	पू 76:19:28.885
02	ii	चिंचखेड नाथ	उ 20:40:19.455	पू 76:20:32.427
03	iii	इसलवादी	उ 20:39:17.087	पू 76:20:42.098
04	iv	इवारा	उ 20:40:27.309	पू 76:21:51.156
05	v	तकली	उ 20:39:54.652	पू 76:22:52.060
06	vi	पिंपालचोच	उ 20:38:58.277	पू 76:22:28.101
07	vii	भेंदी	उ 20:38:47.519	पू 76:23:44.651
08	viii	कवादगांव	उ 20:37:17.771	पू 76:22:34.954
09	ix	वदजी	उ 20:38:01.934	पू 76:24:29.655
10	x	ननदरी	उ 20:36:58.475	पू 76:25:52.631
11	xi	शेन्दरी	उ 20:36:50.911	पू 76:25:00.706
12	xii	मंदनी	उ 20:35:25.891	पू 76:24:57.162
13	xiii	खेरदी	उ 20:35:29.319	पू 76:26:06.700
14	xiv	सरोला	उ 20:35:32.663	पू 76:27:12.574
15	xv	गेरु	उ 20:34:27.157	पू 76:26:29.581
16	xvi	मटरगांव	उ 20:33:00.907	पू 76:25:26.221
17	xvii	श्रीधर नगर	उ 20:33:16.824	पू 76:26:50.138
18	xviii	वजार	उ 20:33:15.413	पू 76:29:27.961
19	xix	ज़ोदगा	उ 20:31:52.564	पू 76:27:31.305
20	xx	नागजरी बीके.	उ 20:31:02.742	पू 76:28:22.301
21	xxi	नागजरी केएच.	उ 20:30:16.095	पू 76:27:56.136
22	xxii	वैरागड़	उ 20:29:10.500	पू 76:28:18.327
23	xxiii	हरनी	उ 20:29:31.886	पू 76:25:52.248
24	xxiv	ताकरखेड़ हेलगा	उ 20:27:35.463	पू 76:24:53.343
25	xxv	करवांद	उ 20:28:09.669	पू 76:22:38.778
26	xxvi	कोटखेद	उ 20:27:56.696	पू 76:20:23.611
27	xxvii	बोरला	उ 20:30:57.982	पू 76:20:52.610
28	xxviii	डोंगर शेवाली	उ 20:28:27.030	पू 76:19:00.915
29	xxix	डोंगर खण्डाला	उ 20:29:33.023	पू 76:17:48.668
30	xxx	खेरदी	उ 20:28:53.240	पू 76:16:17.525
31	xxxi	गोंधनखेद	उ 20:31:29.989	पू 76:18:31.155
32	xxxii	वारवांद	उ 20:30:59.870	पू 76:16:49.218
33	xxxiii	पिंपरखेद	उ 20:32:00.250	पू 76:16:27.223
34	xxxiv	बोरखेद	उ 20:33:43.952	पू 76:16:28.408
35	xxxv	भदोला	उ 20:31:24.637	पू 76:14:38.162
36	xxxvi	सवाला	उ 20:32:23.999	पू 76:13:26.287

IndiaCode

क्र. सं.	मानचित्र संख्या	ग्राम के नाम	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
37	xxxvii	हंवतखेद	उ 20:33:26.288	पू 76:13:03.739
38	xxxviii	खैरखेद	उ 20:34:37.182	पू 76:13:21.423
39	xxxix	सहस्तरामूली	उ 20:36:13.820	पू 76:13:52.193
40	xl	कोथाली	उ 20:35:17.572	पू 76:14:33.908
41	xli	तरोदा	उ 20:35:24.369	पू 76:15:33.550
42	xlii	तारापुर	उ 20:36:16.937	पू 76:17:14.606
43	xliii	लोंघाट	उ 20:37:38.163	पू 76:16:50.116
44	xliv	धमनगांव	उ 20:39:05.110	पू 76:17:20.024
45	xlv	नीमखेद	उ 20:37:37.206	पू 76:18:03.011
46	xlvi	गिरोली	उ 20:37:57.203	पू 76:19:38.738
47	xlvii	पिंपलगांव नाथ	उ 20:39:35.822	पू 76:19:07.980

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2017

S.O.1604(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.3121(E), dated the 20th November 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Dyanganga Wildlife Sanctuary situate in Buldhana district in the State of Maharashtra between North latitude from 19^0 58' 40" to 19^0 58' 42" and East longitude from 76^0 31' 45" to 76^0 31' 56" and is spread over an area 203.21 square kilometres;

AND WHEREAS, the sanctuary harbours Leopard (*Panthera pardus)*, Sloth Bear (*Melursus ursinus)*, Wolf (*Canis lupus pallipes)*, Hyaena (*Hyaena hyaena)*, Fox (*Vulpes bengalensis)*, Nilgai (*Boselaphus tragocamelus)*, Wild Boar (*Sus scrofa)*, Peafowl (*Pavo cristatus)*, Black Buck (*Antelope cervicapra)* and has dry deciduous teak and miscellaneous forests typical of biotic province 6 B–central plateau of the Deccan Peninsula Zone;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area around the protected area of the Dyanganga Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent ranges from 1.38 kilometres to 8.10 kilometres from the boundary of the Dyanganga Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Dyanganga Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herewith after called as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 297.85 square kilometres with an extent of 1.380 kilometres to 8.10 kilometres from the boundary of the Dyanganga Wildlife Sanctuary and the boundary description of the Eco-sensitive Zone is given in **Annexure I**.

(2) The map of the wildlife sanctuary and Eco-sensitive Zone is appended to this notification as **Annexure II.**

(3) The Geo-coordinates of the wildlife sanctuary and Eco-sensitive Zone are appended to this notification as **Annexure-III.**

(4) The Eco-sensitive Zone is spread across 37 villages in Buldhana District in the State of Maharashtra and the list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with coordinates of prominent points is appended as **Annexure IV.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government**.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use**.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
(ii) widening and strengthening of existing roads,
(iii) small scale industries not causing pollution,
(iv) rainwater harvesting, and
(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs**.- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone.

(ii) New construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre or up to the extent from the boundary of the Dyanganga Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities.

(iii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage**.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites**.- Buildings, structures, artifact areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution**.- The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated in the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution**.- The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall implement standards and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rule made thereunder.

(8) **Discharge of effluents**.- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986.

(9) **Solid wastes**. - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) The solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016.

(ii) The local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components.

(iii) The biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture.

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical wastes**.- The Bio-Medical waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(11) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016.

(12) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317 (E), dated the 29th March, 2016.

(13) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner using clean fuel and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Act and the rules and regulations made thereunder.

(14) **Industrial Units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and stone crushing.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste is permitted within Eco sensitive zone. Further installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment/hospitals etc. is Prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:*

		(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) cottage industries including village industries; convenience stores & local amenities supporting Eco-tourism including home stays; and (iv) promoted activities listed in this Notification.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
13.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Commercial use of fire wood.	Regulated under applicable laws.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law.
20.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
25.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Permitted for local use otherwise it shall be regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
26.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Right of way for cattle grazing.	Right of way to be specified by concerned Authority for permission to local/villages.

C. Promoted Activities		
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
37.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

Prohibited Activities as specified above shall come into effect from the date of issue of Draft Notification.

5. Monitoring Committee.-

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for the effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

IndiaCode

(i)	The Collector of Buldhana District	Chairman
(ii)	A representative of Zilla Parishad, Buldhana	Member
(iii)	A representative of Department of Revenue, Government of Maharashtra	Member
(iv)	Representative of Remote sensing centre	Member
(v)	One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra	Member
(vi)	one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra	Member
(vii) (viii)	Member-Secretary/Member of the State Biodiversity Board The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board,	Member
(ix)	The Senior Town Planner, Buldhana	Member
(x)	The Deputy Conservator of Forest (T) - Buldhana Division	Member Secretary .

6. Terms of Reference:- (1)The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification and the tenure of Monitoring Committee shall be for three year from date of publication of notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma given in **Annexure V**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of the notification.

8. The provisions of this Notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

[F.No.25/23/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR , Scientist 'G'

IndiaCode

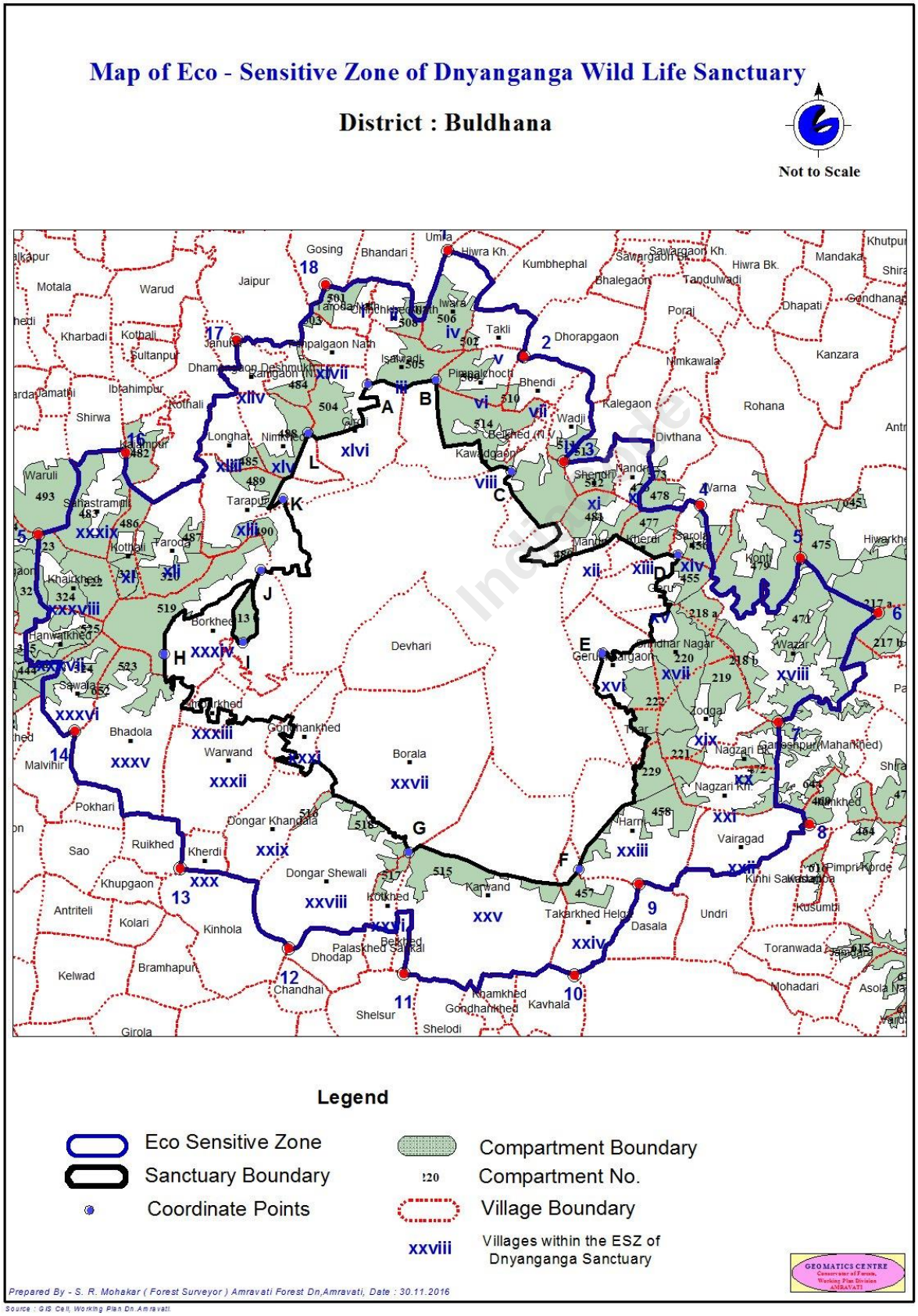
Annexure I

Description of Boundaries of the Eco-Senstive Zone of Dyanganga Wildlife Sanctuary

Direction	Bounded by
North	South side of Village Boundary of village Jaipur, Gaosing, Bhandari, Umra, Hiwara Rd., Khumbhefal, Dhorapgaon Kalaegaon, Rohana, Antraj.
East	West side of village boundary Khini Mahadeo, Naidevi, Shirla Khini Sawad, Toranwada.
South	North side of village boundary Phokhari, Ruikhed, Kherdi, Khinola, Dhodap, 20alaskhed sapkal, Khamkhed, Amdapur.
West	East side of village Boundary of Buldana, Hanwatkhed, Malvihar, Khairkhed, Taroda, Khotali, Dhamgaon Deshmukh,Varud .

Annexure-II

Map of Dyanganga wildlife sanctuary and Eco-sensitive Zone



Annexure-III

A. Geo-coordinates of the of Dyanganga Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone

Sl. No.	Point No.	Latitude	Longitude
1	A	20° 38′ 44″	76° 19′ 56″
2	B	20° 38′ 50″	76° 21′ 28″
3	C	20° 36′54″	76°23′10″
4	D	20°35′08″	76°26′53″
5	E	20°33′05″	76°25′12″
6	F	20°28′31″	76°24′41″
7	G	20°28′53″	76°20′53″
8	H	20°33′03″	76°15′23″
9	I	20°33′18″	76°17′09″
10	J	20°34′49″	76°17′33″
11	K	20°36′19″	76°18′03″
12	L	20°37′43″	76°18′36″

B. Geo-coordinates of the of Eco-Sensitive Zone of Dyanganga Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Point No.	Latitude	Longitude
1	1	20°41′33.381″	76°21′43.538″
2	2	20°39′19.858″	76°23′26.225″
3	3	20°37′06.872″	76°24′19.640″
4	4	20°36′11.507″	76°27′23.734″
5	5	20°35′05.002″	76°29′37.782″
6	6	20°33′55.096″	76°31′22.100″
7	7	20°31′37.297″	76°29′08.399″
8	8	20°29′28.061″	76°29′50.121″
9	9	20°28′12.496″	76°26′00.798″
10	10	20°26′17.445″	76°24′34.951″
11	11	20°26′19.389″	76°20′45.447″
12	12	20°26′50.836″	76°18′11.093″
13	13	20°28′31.979″	76°15′45.260″
14	14	20°31′25.308″	76°13′23.033″
15	15	20°35′33.947″	76°12′34.155″
16	16	20°37′16.973″	76°14′30.815″
17	17	20°39′40.376″	76°17′00.179″
18	18	20°40′50.179″	76°18′59.195″

Annexure IV

List of Villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone

S.No.	Legends On Map	Name of Village	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
01	i	Taroda Nath	N 20:40:23.348	E 76:19:28.885
02	ii	Chinchkhed Nath	N 20:40:19.455	E 76:20:32.427
03	iii	Isalwadi	N 20:39:17.087	E 76:20:42.098
04	iv	Iwara	N 20:40:27.309	E 76:21:51.156
05	v	Takli	N 20:39:54.652	E 76:22:52.060
06	vi	Pimpalchoch	N 20:38:58.277	E 76:22:28.101
07	vii	Bhendi	N 20:38:47.519	E 76:23:44.651
08	viii	Kawadgaon	N 20:37:17.771	E 76:22:34.954
09	ix	Wadji	N 20:38:01.934	E 76:24:29.655
10	x	Nandri	N 20:36:58.475	E 76:25:52.631
11	xi	Shendri	N 20:36:50.911	E 76:25:00.706
12	xii	Mandni	N 20:35:25.891	E 76:24:57.162
13	xiii	Kherdi	N 20:35:29.319	E 76:26:06.700
14	xiv	Sarola	N 20:35:32.663	E 76:27:12.574

IndiaCode

S.No.	Legends On Map	Name of Village	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
15	xv	Geru	N 20:34:27.157	E 76:26:29.581
16	xvi	Matargaon	N 20:33:00.907	E 76:25:26.221
17	xvii	Shridhar Nagar	N 20:33:16.824	E 76:26:50.138
18	xviii	Wazar	N 20:33:15.413	E 76:29:27.961
19	xix	Zodga	N 20:31:52.564	E 76:27:31.305
20	xx	Nagzari Bk.	N 20:31:02.742	E 76:28:22.301
21	xxi	Nagzari Kh.	N 20:30:16.095	E 76:27:56.136
22	xxii	Vairagad	N 20:29:10.500	E 76:28:18.327
23	xxiii	Harni	N 20:29:31.886	E 76:25:52.248
24	xxiv	Takarkhed Helga	N 20:27:35.463	E 76:24:53.343
25	xxv	Karwand	N 20:28:09.669	E 76:22:38.778
26	xxvi	Kotkhed	N 20:27:56.696	E 76:20:23.611
27	xxvii	Borala	N 20:30:57.982	E 76:20:52.610
28	xxviii	Dongar Shewali	N 20:28:27.030	E 76:19:00.915
29	xxix	Dongar Khandala	N 20:29:33.023	E 76:17:48.668
30	xxx	Kherdi	N 20:28:53.240	E 76:16:17.525
31	xxxi	Gondhankhed	N 20:31:29.989	E 76:18:31.155
32	xxxii	Warwand	N 20:30:59.870	E 76:16:49.218
33	xxxiii	Pimparkhed	N 20:32:00.250	E 76:16:27.223
34	xxxiv	Borkhed	N 20:33:43.952	E 76:16:28.408
35	xxxv	Bhadola	N 20:31:24.637	E 76:14:38.162
36	xxxvi	Sawala	N 20:32:23.999	E 76:13:26.287
37	xxxvii	Hanwatkhed	N 20:33:26.288	E 76:13:03.739
38	xxxviii	Khairkhed	N 20:34:37.182	E 76:13:21.423
39	xxxix	Sahastramuli	N 20:36:13.820	E 76:13:52.193
40	xl	Kothali	N 20:35:17.572	E 76:14:33.908
41	xli	Taroda	N 20:35:24.369	E 76:15:33.550
42	xlii	Tarapur	N 20:36:16.937	E 76:17:14.606
43	xliii	Longhat	N 20:37:38.163	E 76:16:50.116
44	xliv	Dhamangaon	N 20:39:05.110	E 76:17:20.024
45	xlv	Nimkhed	N 20:37:37.206	E 76:18:03.011
46	xlvi	Giroli	N 20:37:57.203	E 76:19:38.738
47	xlvii	Pimpalgaon Nath	N 20:39:35.822	E 76:19:07.980

Annexure V

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings:
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 : Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.23 14:09:43 +05'30'